128

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नबीनगर
जिला– औरंगाबाद

पत्र

महाशय,

नगर पंचायत, नबीनगर के वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14590 / 02 **दिनांक– 28.09.16**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, औरंगाबाद

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, नबीनगर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–242/16–17
अवधि–2011–12 से 2015–16

भाग –I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, नबीनगर
2.	लेखा वर्ष	2011–12 एवं 2015–16
3.	अंकेक्षण अवधि	04.05.2016 से 10.05.2016
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट–I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 2. श्री राजेश कुमार ।।, स0ले0प0अ0 3. श्री मोहनीश भास्कर, पर्यवेक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री एस0एन0 मिश्रा, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री सुरेद्र प्रसाद मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 10.05.2016 को
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट–I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट–II
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	परिशिष्ट–V

12. **प्रशासन**

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री प्रताप नारायण सिंह	कार्यपालक पदाधिकारी	1.04.11	11.08.11
2	श्री नागेन्द्र प्रसाद	कार्यपालक पदाधिकारी	12.08.11	15.02.14
3	श्री वकील प्रसाद सिंह	कार्यपालक पदाधिकारी	15.02.14	10.01.15
4	श्री प्रभात रंजन	कार्यपालक पदाधिकारी	10.01.15	11.05.15
5	रिक्त	कार्यपालक पदाधिकारी	12.05.15	26.07.15
6	श्री राजा अक्षय प्रताप सिंह	कार्यपालक पदाधिकारी	27.05.15	7.09.15
7	श्री शिवेन्द्र कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी	7.09.15	31.03.16
8	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मंडल	कार्यपालक पदाधिकारी	31.03.16	अब तक

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री अजय कुमार सिन्हा	अध्यक्ष	04.04.08	08.06.12
2	श्री राजेश्वर प्रसाद	अध्यक्ष	09.06.12	04.08.14
3	श्रीमति राधा सिंह	अध्यक्ष	01.09.14	अब तक

126

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री राजेश्वर प्रसाद	उपाध्यक्ष	04.04.08	26.03.11
2	रिक्त	उपाध्यक्ष	27.03.11	25.05.11
3	श्रीमति अमरावती देवी	उपाध्यक्ष	26.05.11	08.06.12
4	श्रीमति रेणु देवी	उपाध्यक्ष	01.09.14	अब तक

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

परिशिष्ट–III पर संलग्न है।

15. लेखा परीक्षा का परिणाम. परिशिष्ट –

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य

2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹ 3486137

3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹ 1223200

(विवरणी परिशिष्ट–V पर संलग्न)

16. सामान्य रोकड़ बही

सामान्य रोकड़ बही/(पी.एल. खाता) का संधारण दिनांक 24.3.14 से किया गया, इसके पूर्व इनका संधारण नहीं किया गया, इसकी प्रविष्टि के अनुसार आय–व्यय की विवरणी निम्न प्रकार थी,

क्र.सं.	वर्ष	प्रा0 शेष	वर्ष की प्राप्तियॉ	कुल	वर्ष का व्यय	अन्तशेष
1.	2013-14	0	24182977	24182977	0	24182977
2.	2014-15	24182977	390000	24572977	6609957	17963020
3.	2015-16	17963020	38654406	56617426	16930135	39687291

कोषागार पासबुक का अन्तशेष रु 39687291

ध्यातव्य है कि उक्त रोकड़ बही में सरकार/विभिन्न एजेन्सी से प्राप्त आवंटन मात्र का आय–व्यय दर्शाया गया है।

रोकड़ बही के आय– व्यय पक्ष का वर्गीकरण तथा अन्तशेष का विश्लेषण नहीं किया गया है ।

बिहार नगरपालिका लेखा नियम के नियमों के अनुसार नगर परिषद् हेतु सभी प्राप्तियों का जमा कोषागार में किया जाना अपबंधित है तथा सभी प्रकार के लेन– देन कोषागार के माध्यम से किया जाना

है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा स्वयं के श्रोतों से प्राप्त राशि एवं लेनदेन हेतु दो बैंक खाता, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया।

किन परिस्थितियों में लेखा नियमों के विरूद्ध बैंको से लेन– देन किया गया, इसे स्पष्ट करने को कहा गया।

जवाब में बताया गया कि सुझावों के अनुसार भविष्य में आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखापरीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

भाग–II

खण्ड–(क) –शून्य

भाग–।। (ख)

कंडिका(1)–एल0ई0लाईट अधिष्ठापन में राशि रू0 162.99 लाख व्यय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं

दिनांक 12.9.14 की सामान्य बैठक में प्रस्ताव संख्या 5(क) के अनुसार असम्बद्ध मद, विकास कार्य एवं प्रकाश के लिये प्राप्त राशि से विद्युत/सोलर लाईट क्रय का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में 21 जनवरी, 2015 को दैनिक जागरण में निविदा आमंत्रित की गयी।

संचिका में प्राप्त निविदाओं का साक्ष्य अथवा उल्लेख नहीं पाया गया, टिप्पणी पृ0 सं. 2^N के अनुसार सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार लक्ष्मी कन्सट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स, सिवान को एकरारनामा हेतु आमंत्रित किया गया तथा एकरारनामा के उपरान्त 72 वाट एल.ई.डी., 76 सेट की आपूर्ति रु 72919 प्रति की दर से कार्यादेश निर्गत किया गया।

आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 25.2.15 को 76 अद्द एल.ई.डी. लाईट का विपत्र रु 5541844 प्रस्तुत किया गया, पुनः 31.3.15 को 103 सेट लाईट की आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा 45 वाट 60 अद्द एवं 72 वाट 103 अद्द का विपत्र 90,79,657 प्रस्तुत किया गया तथा बिना आदेश सं. के पुनः 140 अद्द 45 वाट एल.ई.डी. लाईट का विपत्र रु 36,61,000 प्रस्तुत किया गया।

आपूर्तिकर्ता को निम्न प्रकार भुगतान किया गया,

1.	चेक सं. ए730308/26.2.15	रु 1662500
2.	चेक सं. ए730311/23.3.15	रु 33,25,160
3.	चेक सं. ए730313/17.4.15	रु 72,00,000
4.	चेक सं. ए730320/13.08.15	रु 852718
5.	चेक सं. ए730322/3.9.15	रु 32,58,290
	कुल	रु 1,62,98,668

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. स्थल चयन सं संबंधित सूची संलग्न नहीं पाया गया,
2. कुल प्राप्त निविदाओं/दरें, तुलनात्मक विवरणी, चयन समिति/क्रय समिति के निर्णय का साक्ष्य/उल्लेख नहीं पाया गया,
3. भंडार पंजी प्रविष्टि, गुणवत्ता जॉच प्रमाण–पत्र, अधिष्ठापन प्रमाण पत्र, कार्य क्षमता, गारण्टी/वारंटी कार्ड इत्यादि संलग्न/उल्लेख नहीं पाया गया,

उपर्युक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करने को कहा गया ।

उत्तर में बताया गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निर्णय के आलोक में कार्रवाई की गई है ।

उत्तर मान्य नहीं है, अतः बोर्ड के निर्णय की प्रति स्पष्टीकरण सहित लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

क़ंडिका(2)– निरस्त

कंडिका(3)– मोबाईल टावर कंपनियों के पास राशि बकाया, रू0 6.90 लाख

नगर पंचायत, नबीनगर, (औरंगाबाद) द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल टॉवर पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत, नबीनगर (औरंगाबाद) अंतर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टावरों पर बकाया से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	मोबाईल टावर कंपनी का नाम	टावर का पता	अधिष्ठापन वर्ष	टावरों की सं0	कुल पंजीकरण शुल्क	कुल नवीकरण शुल्क(2016–17 तक)	पंजीकरण शुल्क भुगतान	नवीकरण शुल्क भुगतान	कुल देय राशि	कुल भुगतान	कुल बकाया	अभ्युक्ति
1.	एयरटेल 40 मीटर	मुन्ना सिंह, C\o परिखा सिंह, कोसडिहरा, पो0+थाना नबीनगर, वार्ड–11	3.5.04	1	30000	96000	0	0	126000	0	126000	
2.	रिलायंस 80 मीटर	तारा कुवंर एवं सावित्री कुवंर लखीराम एवं शिवराम दास, भवनोखाप, वार्ड–19, प्लॅट नं. 65	5.10.06	1	30000	128000	0	0	158000	0	158000	
3.	आईडिया 40 मीटर	शिवपूजन दूबे, स्व0 कामेश्वर दूबे, सोनपुरा, पो0+थाना नबीनगर, वार्ड–6, खाता नं. 21, प्लाट नं. 147	10.1.08	1	30000	64000	0	0	94000	0	94000	
4.	टाटा इण्डिकॉम, 50 मीटर	श्रीमति जयन्ति देवी/उमेश सिंह, स्व0 कामदेव सिंह, पो0+ थाना नबीनगर, वार्ड–13, खाता नं. 04, प्लाट नं. 44	31.3.08	1	30000	64000	0	0	94000	0	94000	

5.	एयरटेल 40 मीटर	सरोज देवी/मदन अग्रवाल, जनकपुर पोखरा पर, पो0+थाना नबीनगर, वार्ड–04	3.4.07	1	30000	72000	0	0	102000	0	102000	
6.	एयरटेल 40 मीटर	बब्लू सिंह, मंगल बाजार, पो0+थाना नबीनगर, वार्ड–09	5.5.15	1	30000	8000	0	0	38000	0	38000	
7.	एयरटेल 40 मीटर	स्व0 चन्द्रदेव सिंह/स्व0 दिपा सिंह, ग्राम शिवा बिगहा, पो0+थाना नबीनगर, वार्ड–13, खाता नं. 04, प्लाट नं. 41	2.4.09	1	30000	48000	0	0	78000	0	78000	
					210000	480000	0	0	690000	0	690000	

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 8.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू0 30,000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू0 8000 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(1) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को भी उपरवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्ष की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण शुल्क आवेदन स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर तथा नवीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को भुगतान किया जाना है। यदि ऐसा नही किया जाता है तो बकाया राशि के 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी एवं संबंधित पंजी की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कंपनियों के **कुल 07 मोबाईल टावर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये ही अधिष्ठापित** थे। इन कंपनियों के पास अंकेक्षण तिथि तक पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क मद में कुल रू0 6,90,000 राशि जमा नही कराई गयी थी जबकि इनका अधिष्ठापन 01 से 12 वर्ष पूर्व किया गया था।

नियमानुसार, इन टावरों के मामले में निर्धारित दर से ब्याज की वसूली की जानी चाहिए थी।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा मोबाईल टावर से संबंधित बकाया वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नही किया गया जिसके कारण ही आज तक नगर परिषद निधि में कम से कम रू0 6,90,000 से वंचित होना पड़ा।

122

लेखापरीक्षा दल को यह नहीं बताया गया कि किन परिस्थितियों में (1) मोबाइल टावर मद में बकाया की वसूली लंबे समय से नही हो पायी थी (2) बकाया न देने की स्थिति में भी टावरों को सील करने की कार्रवाई नहीं की गयी।

उत्तर में बताया गया कि सभी संबंधित कम्पनियों को नोटिस दिया गया है एवं कठोर कार्रवाई करने की प्रकिया अपनाई जा रही है ।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि नियमावली के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में टावर को सील करने का भी अधिकार नगर निकायों को दिया गया है। सील करने की कार्रवाई होने पर स्वतः ही सभी कंपनियाँ नियमानुसार कार्य करती, जो नही किया गया।

अतः कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली यथाशीघ्र कर लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय ।

कंडिका(4)-- सफाई कार्य में संलग्न निजी एजेंसी के निविदा राशि में अनावश्यक रूप से वृद्धि, अनियमित भुगतान रू0 7.44 लाख

नगर पंचायत, नवीनगर के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा के क्रम में सफाई व्यवस्था से संबंधित उपलब्ध कराए गए संचिका की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था दिनांक 14.06.2010 से ही निविदा के आधार पर चयनित निजी एजेंसी भोला राम, नवीनगर, औरंगाबाद के जिम्मे है। एकरारनामा के अनुसार, उक्त एजेंसी को एक वर्ष के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र की सफाई के बदले रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जाना था। आगे कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर एजेंसी के कार्यकाल को बोर्ड के निर्णय दिनांक 11.11.2011, 22.06.2012 एवं 31.08.2013 के आलोक में दिनांक 14.09.2014 तक अवधि विस्तार दिया गया। दिनांक 31.08.13 के निर्णय एवं अध्यक्ष के आदेश के आलोक में निविदा की राशि को बढाकर रू0 1,92,000 (16,000 प्रतिमाह की दर से) कर दिया गया। इसी बीच दिनांक 30.08.14 को भोला राम की मृत्यु हो गयी। दिनांक 29.11.2014 को सामान्य बैठक में उनके सुपुत्र श्री विकास कुमार को सफाई का कार्यभार सौंप दिया गया तथा आगे भी उन्हीं से ही सफाई कार्य कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 19.01.2015 को कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा निविदा की राशि रू0 16,000 प्रतिमाह को बढाकर रू0 64,000 प्रतिमाह अर्थात् चार गुणा कर दिया गया। दिनांक 15.09.2014 से ही उक्त दर पर भुगतान किया जा रहा है।

इस वृद्धि से पहले न तो बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन लिया गया और न ही कोई निविदा निकाली गयी। संवेदक विकास कुमार द्वारा भी राशि बढ़ाने के संबंध में कोई निवेदन नही किया गया था। पुरानी दर पर किए जा रहे सफाई के संबंध में कभी कोई शिकायत नही मिली। सफाई निरीक्षक द्वारा भी हमेशा सफाई के संतोषजनक पाये जाने का प्रमाणपत्र दिया जाता रहा है। रू0 64,000 प्रतिमाह का तात्पर्य है रू0 7,68,000 सालाना अर्थात् पूर्व की निविदा राशि रू0 1,92,000 से रू0 5,76,000 अधिक।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. जब पुरानी दर पर किए जा रहे सफाई कार्यों को कभी असंतोषजनक नही पाया गया तो निविदा राशि में अकस्मात् इतनी बड़ी वृद्धि कर दी गई यह लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।
2. पूर्व दर पर कराए जा रहे सफाई कार्यों एवं बढ़ी हुई दर पर कराए जा रहे सफाई कार्यों में अंतर था यह लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
3. वृहत स्तर पर सफाई कार्य कराना था या कोई अलग कार्य योजना थी तो इस हेतु निविदा निकाली गयी या नहीं यह नहीं बताया गया।
4. संवेदक को दिनांक 15.09.2014 से 31.12.2015 तक बढ़ी हुई दर से कुल रू0 9,92,000 का भुगतान किया गया अर्थात् पुरानी दर की तुलना में कुल 15.5 माह x 48000 (64000-16000)= 744000 का अधिक भुगतान किया गया। बिना किसी उचित प्रक्रिया एवं उचित कारण के किए गया भुगतान अनियमित माना जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि महँगाई में वृद्धि तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी की वृद्धि के आलोक में बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्माण के अनुसार वृद्धि की गई ।

उत्तर मान्य नही है, जिस आधार पर निविदा किया गया था वह 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' से संबंधित उपरवर्णित प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत था।

अतः उचित कार्रवाई कर लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत करायें। तबतक 744000 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका(5) <u>होल्डिंग रसीद की विलम्ब राशि ₹0.64 लाख का जमा नहीं किया जाना</u>

नगर पंचायत, नबीनगर (औरंगाबाद) के वर्ष 2011–12 से 2015–16 लेखाओं के लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व संग्रहक द्वारा वसूली गयी होल्डिंग राशि नगर पंचायत नजारत में नियमित रूप से जमा करेगें। परन्तु होल्डिंग रसीद से दैनिक संग्रह/वसूली पंजी में दर्ज विलम्ब राशि लेखापरीक्षा के दौरान नगर पंचायत कैशबुक में राशि नहीं पाया गया, जो निम्न प्रकार है–

120

	Receipt Starting Sl.No.	Receipt Ending Sl.No.	Starting Date	End Date		Amount deposited	Amount collected	Amount not deposited
1	3985	4100	11.2.14	28.2.14	Feb-14	12464	13665	1201
2	4101	4357	3.3.14	31.3.14	Mar-14	38196	49316	11120
3	4358	4400	30.4.14	30.9.14	April 2014 to Sept 2014	8441	12723	4282
4	4401	4500	9.10.14	31.10.14	Oct-14	13781	17561	3780
5	4501	4650	1.11.14	30.11.14	Nov-14	29159	37395	8236
6	4651	4985	1.12.14	31.12.14	Dec-14	39058	46756	7698
7	4986	5200	2.1.15	31.1.15	Jan-15	15218	18518	3300
8	5201	5350	3.2.15	28.2.15	Feb-15	13321	15588	2267
9	5548	5594	2.3.16	28.4.16	Mar-16	0	21949	21949
					Total	**169638**	233471	**63833**

अतः उक्त दैनिक संग्रह/वसूली पंजी अनुसार होल्डिंग रसीद से प्राप्त विलम्ब राशि रु 63833 नहीं जमा होने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उत्तर में बताया गया कि संबंधित कर्मी से उक्त राशि की वसूली की शीघ्र ही समिति निधि में जमा करवा कर अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जाएगा ।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि यह मामला सीधे राशि के संग्रहन से जुड़ा है तथा उपरोक्त परिस्थितियाँ कार्यालय स्तर की शिथिलता को दर्शाता है। अतः यथाशीघ्र नहीं जमा राशि रू0 63833 की वसूली कर इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका(6)– सैरातों की बन्दोबस्ती

परिसम्पत्ति/सैरात पंजी अथवा सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, उपलब्ध संचिकाओं के अनुसार बन्दोबस्त सैरातों की स्थिति निम्न प्रकार थी,

क्र. सं.	वर्ष	सैरात का नाम	डाकधारी का नाम	डाक की राशि	वसूल की गयी राशि	कम वसूली
1	2	3	4	5	6	7
1.	2011–12	अस्थायी दुकानों से टौल वसूली	विनय सिंह	351000	351000	
2.	तथैव	बस पड़ाव सुलभ शौचालय	भोला राम	12011	7000	5011
3.	तथैव	सवारी वाहन से पड़ाव शुल्क	विनय सिंह	386100	294100	92000
4.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	मनोज कु0 सिंह	1651	1651	—
5.	तथैव	शनिचर बाजार मंगल बाजार	चन्द्रमल सिंह	121100	88550	32550
6.	2012–13	सवारी वाहनों से पड़ाव शुल्क	विनय सिंह	317591	158796	158795
7.	तथैव	अस्थायी दुकानों से टॉल	विनय सिंह	253901	126950	126951
8.	तथैव	बस पड़ाव शुलभ शौचालय	भोला राम	15021	7511	7510
9.	तथैव	मंगल बाजार एवं शनिचर बाजार	मनोज कु0 सिंह	127991	64010	63981
10.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	गिरीश कु0 गर्ग	1901	1901	

11.	2013–14	सवारी वाहनों से पड़ाव शुल्क	विनय कु0 सिंह	318800	159621	159179
12.	तथैव	बस पड़ाव शुलभ शौचालय से	भोला राम	16000	8000	8000
13.	तथैव	मंगल बाजार एवं शनिचर बाजार	मनोज कु0 सिंह	12801	96157	31944
14.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	संजय कुमार	1900	1900	—
15.	तथैव	अस्थायी दुकानों से टॉल	विनय कु0 सिंह	255500	177750	77750
16.	2014–15	बस पड़ाव शुलभ शौचालय से	भोला राम	16500	16500	—
17.	तथैव	अस्थायी दैनिक दुकान वसूली	विनय कु0 सिंह	475000	237500	237500
18.	तथैव	सवारी वाहनों से पड़ाव शुल्क	मनोज कु0 सिंह	328000	164000	164000
19.	तथैव	मंगल बाजार एवं शनिचर बाजार	विनय सिंह	153000	76500	76500
20.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	राजुकुमार	1911	1911	—
21.	2015–16	अस्थायी दुकानों से टॉल वसूली	विनय सिंह	547500	373750	173750
22.	तथैव	मंगल बाजार एवं शनिचर बाजार	तथैव	178000	134000	44000
23.	तथैव	बस पड़ाव शुलभ शौचालय	विकास कुमार	19500	9750	9750
24.	तथैव	सवारी वाहनों से पड़ाव शुल्क	विनय सिंह	547500	373750	173750
25.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	संजय कुमार	2000	2000	—
26.	2016-17	सवारी वाहनों से पड़ाव शुल्क	संतोष कु0 सिंह	521000	260500+3 प्रतिशत	260500
27.	तथैव	शिवराजपुर छठ मेला	बन्दोबस्ती नहीं	—	—	—
28.	तथैव	मंगल बाजार एवं शनिचर बाजार	तथैव	—	—	—
29.	तथैव	बस पड़ाव शुलभ शौचालय	विकास कुमार	20100	10050+3प्रतिशत	10050
30.	तथैव	अस्थायी दुकानों से टॉल वसूली	संतोष कु0 सिंह	802000	401000+3प्रतिशत	401000
				5920579	3606108	2314371

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. कुल रु 5920579 बन्दोबंस्ती राशि के विरूद्ध रु 3606108 मात्र जमा किया गया, शेष राशि रु 2314371 का जमा नहीं पाया गया, इस राशि को परिषद निधि में जमा स्पष्ट नहीं किया गया।
2. विभागीय निदेशानुसार बन्दोबस्ती की राशि पर कुल 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप में मुद्रांक पेपर जमा किया जाना है, लेकिन यह पाया गया कि वर्ष 2016–17 की अवधि में कुल 3 डाकों की राशि पर ही डाकवक्ता से मुद्रांक पेपर जमा कराया गया, शेष रु 4577479 पर मुद्रांक शुल्क रु 137324 जमा नहीं कराया गया, परिणाम स्वरूप इतनी राशि की राजस्व हानि सरकार को उठानी पड़ी।
3. वर्ष 2016–17 की अवधि में उपर्युक्त क्र.सं. 27 एवं 28 की बन्दोबस्ती नहीं की गयी, पुनः प्रयास नहीं किये जाने के कारण परिषद निधि को कम से कम रु 180,000 की हानि उठानी पड़ी।
4. उपर्युक्त क्र.सं. 1 का अगले वर्षो में गत वर्ष की अपेक्षा कम राशि पर बन्दोबस्ती की गयी, परिणाम स्वरूप रु 97099 + 95500 कुल रु 192599 की राजस्व हानि उठानी पड़ी, क्र.सं. 2 में क्रमशः रु 68509 + 67300 + 58100= रु 193909 की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

उपर्युक्त बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि बार–बार बन्दोबस्ती की सूचना निकाले जाने के बावजूद दर नहीं बढ़ने के कारण राजस्व की क्षति से बचने के लिए उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोबस्ती का करार किया गया।

कंडिका(7)– मॉग व वसूली पंजी अनुपलब्ध/सरकारी भवनों पर बकाया कर

सम्पतिकर से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण वर्ष भर की मॉग एवं वसूली तथा 31 मार्च 2016 को कुल बकाया के आंकड़ों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकारी भवनों पर बकाया करों की उपलब्ध करायी गयी सूची के अवलोकन से यह पाया गया कि कुल 6 सरकारी भवनों पर 31.3.16 तक कुल 22624 जो वर्ष 1987–88 से बकाया थी ।

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धाराओं के अनुसार सम्पत्ति/भवन कर के मूल्यांकन के उपरान्त प्रत्येक पॉच वर्षो के उपरान्त पुर्ननिर्धारण/संशोधन किया जाना है, लेकिन उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वर्षो पूर्व से करों को संशोधित नहीं किया गया, जिसके कारण नगर पंचायत निधि को लगातार बड़ी राशि का राजस्व हानि उठानी पड़ रही है ।

सरकारी भवनों पर बकाया करों की सूची निम्न प्रकार है :–

1.	उच्च विद्यालय	1987–88 से 2015–16	रु 190 प्रतिवर्ष X 28	5320
2.	रा0 औषधालय	1987–88 से 2015–16	रु 190 प्रतिवर्ष X 28	5320
3.	मध्य विद्यालय	1987–88 से 2015–16	रु 95 प्रतिवर्ष X 28	2660
4.	रा0 कन्या मध्य विद्यालय	1987–88 से 2015–16	रु 48 प्रतिवर्ष X 28	1344
5.	कन्या उच्च विद्यालय	1987–88 से 2015–16	रु 95 प्रतिवर्ष X 28	2660
6.	पुलिस स्टेशन	1987–88 से 2015–16	रु 190 प्रतिवर्ष X 28	5320
				22624

उपर्युक्त राशि की वसूली हेतु किये गये तथा अधिनियम की धाराओं के अनुसार संशोधन नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित विभाग से बार– बार पत्राचार किया जा रहा है । शीघ्र ही इसकी वसूली कर ली जायेगी तथा पुर्नमूल्यांकन की कार्रवायी भी की जा रही है ।

अतः कार्रवाई से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय एवं बकाया राशि की वसूली यथाशीघ्र की जाये।

कंडिका(8)– टेबलेट/लैपटॉप का कय

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के ज्ञापांक 114 तथा पत्रांक 136 दिनांक 14.2.15 के द्वारा कमशः 3 एवं 06 टेबलेट दर कमशः रु. 50,000 एवं रु 30,000 आवंटन प्राप्त हुआ । प्राप्त आवंटन रु 150,000 एवं रु 180,000 था।

कृष्णा कम्यूनिकेशन, बोरिंग रोड, पटना के विपत्र? सं. 25876 दिनांक 2.2.15 एवं 25882/4.2.15 द्वारा कमशः 2 एवं 1 सैमसंग टैबलेट का कय 49,995 की दर से कय रू0 149985 का किया गया।

दिनांक 29.11.14 की सामान्य बैठक के प्रस्ताव सं. 5(V) पर लिये गये निर्णय की महिला पार्षदों जिनकी सं. 6(छः) थी के लिये रु 1.80 लाख का आवंटन प्राप्त है, कुल 15 लैपटॉप कय का निर्णय लिया गया, जिसे पर्षद निधि से भुगतान किया जाना था, दिनांक 10.4.15 को दैनिक जागरण में निविदा/दरें आमंत्रित करने का प्रकाशित किया गया।

प्राप्त दरें/निविदा, तुलनात्मक विवरणी इत्यादि संचिका में संलग्न नहीं पाया गया, CUCINA पटना को 24.4.15 को डेल लेपटॉप 16 अद्द रु 29,950 की दर से आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कुल 16 अद्द लेपटॉप का विपत्र रु 479200 का प्रस्तुत किया गया (5.5.15) जिसका भुगतान परिषद निधि से चेक सं. 229985 दि. 9.5.15 को रु 479200 का किया गया।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. उपर्युक्त तीन टैबलेट के कंय हेतु निविदा/दरें आमंत्रित की गयी अथवा नहीं इसका साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. विभाग द्वारा महिला पार्षदों (6) को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु रु 1.80 लाख का आवंटन दिया गया था, रु 299200 का विचलन परिषद निधि से किन परिस्थितियों में 10 अतिरिक्त लैपटॉप कय का निर्णय लिया गया, उक्त विचलित राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित निधि में किया गया अथवा नहीं, यह लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।
3. निविदा सूचना के अनुसार Dell/HP/Lenovo Processore 1.2 G.Hz Win 8/8.1, A GB RAM, 7.0 inch Touch Screen (Tablet) Display, 8 GB Storage, @.0 MP Primary Camera with Microphone, Wi-Fi, 3G Bluetooth, Micro USB, Lithium Ion 2000 MAH Battery, 2 Yr Manufacturing warranty etc. की निविदा आमंत्रित की गयी थी, लेकिन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सिर्फ लैपटॉप इन्सटालेशन चार्जेज, लैपटॉप बैग, वैट व ट्रान्सपोटेशन सहित का उल्लेख अपने विपत्र में किया गया, निर्माता कम्पनी एवं अन्य विशिष्टियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया,
4. निर्माता कम्पनी, विशिष्टियॉ, गुणवत्ता जॉच प्रमाण पत्र, कार्यक्षमता कार्यरत स्थिति, गारण्टी/वारण्टी कार्ड का कोई उल्लेख नहीं पाया गया।
5. उपर्युक्त 16 लैपटॉप में से एक कार्यालय कार्य हेतु 14 वार्ड पार्षदों में वितरित किया गया, जबकि एक अद्द लेपटॉप कार्यपालक पदाधिकारी को निर्गत किया गया, जबकि उन्हें पूर्व में ही एक टेबलेट निर्गत किया जा चुका था।

उपर्युक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करने को कहा गया।

116

जवाब में बताया गया कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में क्रय किया गया है। संबंधित निधि में राशि की प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जा रही है ।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के अनुसार स्थानीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही क्रय किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया। इसके अलावा अनियमितताओं से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर कोई जवाब नही दिया गया।

कंडिका(9)-- होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि रू0 3.95 लाख

नगर पंचायत द्वारा होल्डिंग टैक्स से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे लेखापरीक्षा में नगर पंचायत के वास्तविक मॉग एवं वसूली की गणना नहीं की जा सकी। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार मॉग एवं वसूली का विवरण निम्नलिखित है:–

वर्ष	कुल माँग	कुल वसूली	कुल बकाया	वसूली की प्रतिशतता
2011–12	952050	519376	432674	54.55
2012–13	558127	93904	464223	16.82
2013–14	589676	190919	398757	32.38
2014–15	524210	145510	378700	27.76
2015–16	504153	108944	395209	21.31

लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत में अन्तिम होल्डिंग कर का निर्धारण 1988 में किया गया था और उस वक्त होल्डिंग की कुल संख्या 1547 थी एवं वार्षिक माँग रू0 1,25,453 था और 2015–16 में भी होल्डिंग एवं माँग की स्थिति यथावत है अर्थात पिछले 28 वर्षों से एक भी नए होल्डिंग की मापी कर उस पर कर का अधिरोपण नहीं किया गया, साथ ही विवरणी से यह स्पष्ट है कि वसूली की प्रतिशतता में लगातार गिरावट आ रही है यह नगर पंचायत के कार्य में लापरवाही एवं प्रशासनिक विफलता का द्योतक है। साथ ही वसूली का प्रतिशत वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में 16.82 से लेकर 54.55 के मध्य रही जो सरकारी लक्ष्य 80 की तुलना में अत्यन्त कम था। साथ ही नियमानुसार प्रत्येक पॉच वर्ष के उपरान्त सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए था परन्तु यह लेखापरीक्षा अवधि (मई 2016) तक भी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा दल को यह नहीं बताया गया कि इतनी लंबी अवधि से होल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण नही किया जा रहा है जिसके कारण लगातार राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही वसूली की इतनी दयनीय स्थिति के संबंध में भी लेखापरीक्षा को अपने मंतव्य से अवगत नहीं कराया गया।

उत्तर में बताया गया कि कर्मीयों की कमी के कारण वसूली का प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा सका। पूनर्मूल्यांकन एवं वसूली की सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

वसूली प्रतिशतता में वृद्धि कर लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत करायें।

भाग–III (TAN)

टिप्पणी(1)– राशि का अवरुद्धिकरण (₹ 37,735)

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए एकादश वित्त आयोग निधि एवं राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के रोकड़ बही के 2011–12 से 2015–16 तक के अवलोकन ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ बहियों में कई वर्षों से राशि लंबित है 2011–12 से 2015–16 जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रं० सं०	रोकड़ बही का नाम	बैंक का नाम (खाता सं0)	राशि (₹ में)	दिनांक से अवरुद्ध
1.	एकादश वित्त आयोग निधि	पंजाब नेशनल बैंक (91821)	30890	30.05.2007
2.	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (6629)	6845	04.07.2007
		कुल	37,735	

लेखापरीक्षा टिप्पणी:

1. उपरोक्त मदों के रोकड़ बहियों की राशि को जिन बैंक खाताओं में रखा गया है उसमें अन्य मदों की राशि का संचालन किया जा रहा है जिससे उक्त राशियों पर मिलने वाले ब्याज की गणना नहीं की जा सकी और उसमें वंचित रहना पड़ा।
2. उक्त मद की राशियों को इतने वर्षों तक अवरुद्ध रखने का क्या कारण था। इसे वापस क्यों नहीं किया गया।

   उपरोक्त पर अपने मंतव्य से लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

   उत्तर में बताया गया कि विभाग से मार्गदर्शन की मॉग की जा रही है । निर्देश प्राप्त होते ही कार्रवायी की जाएगी ।

टिप्पणी(2)– रोकड़ बही के संधारण में त्रुटियाँ -

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विभिन्न रोकड़ बहियों के वर्ष के संधारण में त्रुटियाँ 2011–12 से 2015–16– जो निम्न प्रकार है, पाई गयी

1. समिति निधि के रोकड़ बही में राशि(51 पृष्ठ सं) को 11.08.2011 रू0 30 ज्यादा अंकित किया गया तथा दिनांक 21.04.15 को राशि रू0 178470(पृष्ठ सं0 72) ज्यादा अंकित किया गया था जिससे रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अंतःशेष में राशि रू0 178480 का अंतर पाया गया।
2. कार्यालय में संधारित किये जा रहे किसी भी रोकड़ बही में बैंक समाधान विवरणी संलग्न नहीं पाई गयी। ज्ञात हो कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही में बैंक समाधान विवरणी संलग्न किया जाना चाहिए।
3. सरकारी निर्देशानुसार एक मद आवंटन के लिए एक रोकड़ बही एवं एक ही बैंक खाता का संधारण किया जाना चाहिए। कार्यालय में एक मद के लिए एक से अधिक बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था तथा एक ही बैंक खाते में एक से अधिक मद का आवंटन रखा जा रहा था जिसके कारण उस मद के बैंक पासबुक में वास्तविक अन्तशेष का पता नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

उत्तर में बताया गया कि सुझावों के अनुसार त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा।

114

टिप्पणी(3)– अनुदान

सामान्य रोकड़ बही उपलब्ध नहीं कराया गया, परिषद निधि से सबंधित रोकड़ बही के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में भिन्न मदों में निम्नलिखित राशियॉ प्राप्त हुई :–

उपर्युक्त से संबंधित अनुदान पंजी/अनुदान विनियोग पंजी जिसमें मदवार पूर्व का शेष, वर्ष की प्राप्तियॉ, योग, अभिश्रवार व्यय तथा 31 मार्च 2016 को मदवार शेष राशि का विवरण हो, संधारित कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय तथा उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अनुदान हों, से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया।

जवाब में बताया गया कि अनुदान विनियोग पंजी का संधारण किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।

सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसेः–वार्षिक वित्तीय विवरणी, मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख–रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
ओम प्रकाश
(स0ले0प0अ0)
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (एस0 एस0 1)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिशिष्ट –I

वैसे अभिलेख जिसे लेखापरीक्षा कार्य के लिए अंकेक्षण में लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये

1. लेखापाल रोकड़बही
2. सहायक रोकड़बही–
3. कोषालय पास बुक एवं बैंक पास बुक
4. सैरातों की बंदोबस्ती संचिका (आंशिक)
5. एच रसीद
6. विविध रसीद
7. मोबाईल टॉवर पंजी
8. रसीद बहियों की भण्डार पंजी
9. कार्यवाही पुस्तिका
10. आय–व्यय विवरणी

परिशिष्ट –II

वैसे अभिलेख जिसे लेखापरीक्षा कार्य के लिए अंकेक्षण में लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये

1. सभी योजना मदों से संबंधित योजना पंजी एवं विवरणी तथा योजना अभिलेख (2011–12 से 2015–16 तक)
2. आई.एच.एस.डी.पी. योजना संबंधित अभिलेख
3. मोबाईल टावर से संबंधित संचिका /माँग
4. अभिश्रव
5. बजट
6. वार्षिक लेखा
7. अग्रिम पंजी
8. पंजीकृत संदेदकों/वास्तुविदों की सूची
9. भंडार पंजी
10. मॉग एवं वसूली पंजी
11. कर निर्धारण पंजी/अभिलेख
12. सेवा पुस्तिका
13. वाहनों की सूची एवं लॉग बुक
14. योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र
15. पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का निराकरण प्रतिवेदन
16. संपत्ति पंजी
17. नक्शा संचिका
18. आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय लेखा
19. स्टॉक रजिस्टर
20. रॉयाल्टी एवं वैट पंजी
21. दाखिल–खारीज पंजी